प्रकरण संख्या 40/2018 भंवरलाल बनाम श्रीमती तुलसीबाई

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सगे भाई बहन होकर संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं। वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात जिनका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 3 में अंकित है, ग्राम पदराडा में स्थित हैं। वादीया के पिता लादुराम की मृत्यु पर विरायत का नामान्तरकरण उनके चार पुत्रों के नाम ही दर्ज किया गया, वादीया का नाम दर्ज नहीं किया गया, जबकि वादिया लादुराम की जाईन्दा पुत्री होने से उसका भी विवादित आराजियात में 1/5 हिस्सा होकर मौके पर काबिज है। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया वाद वर्णित आराजियात के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 06.06.2016 से वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02.05.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री कुलदीप शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित था, जिसकी तामील आज दिन तक नहीं हुई। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की बिना सहमति के प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 30.04.2018 को हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त [illegible] एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मियाद कण्डोन जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि वादिया ने अपने आपको लादुराम की पुत्री बताकर झूठा वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 7 को पक्षकार बनाया है जो उसके रिश्तेदार हैं, उन्हें गलत पक्षकार बनाया है, जबकि वास्तविक खातेदार अपीलान्टगण होकर मौके पर काबिज हैं। अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.05.2016 की तारीख पेशी नियत थी, किन्तु इसके स्थान पर बिना अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की तामील हुए प्रकरण दिनांक 06.06.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 निरस्त फरमायी जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.02.2016 अनुसार प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.05.2016 नियत की गयी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादीगण को सूचना दिये प्रकरण को नियत पेशी दिनांक 05.05.2016 के स्थान पर दिनांक 06.06.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर प्रतिवादी/अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/ प्रतिवादीगण को विधिवत सूचना देकर एवं उन्हें सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:10 IST
Reason: SelfAttested

(...नीता मीना)
... अधिकारी
एवं पदेन ... अधिकारी
उदयपुर